8

कुल आय व देय कर की गणना

[COMPUTATION OF TOTAL INCOME AND TAX PAYABLE]

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)
इस अध्याय के पश्चात आप जान पायेंगे : ❑ एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में अर्जित आय को पहचानना जिस पर कुल आय की गणना करते समय विचार किया जाएगा; ❑ एक व्यक्ति के कर दायित्व और कुल आय की गणना में सम्मिलित चरणों की सराहना करना; ❑ किसी व्यक्ति की आवसीय स्थिति की पहचान करके उसकी कुल आय की गणना करना, प्रभारी समझने योग्य तथा विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट के प्रावधानों को लागू करना, क्लविंग प्रावधानों को लागू करना, हानि के सैट–ऑफ के लिए प्रावधान और सकल कुल आय से कटौती के लिए प्रावधान; ❑ कुल आय पर करों की लागू दरों को लागू करने वाले व्यक्ति की कर देयता, अधिभार की दर, यदि लागू हो, और शिक्षा उपकर/माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर की दर की गणना करना; ❑ वैकल्पिक न्यूनतम दर (AMT) के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करें और यदि लागू हो, तो ऐसे प्रावधानों को लागू करने वाले कर दायित्व की गणना करें और आगे बढ़ाने के लिए कर क्रेडिट यदि कोई हो का निर्धारण करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

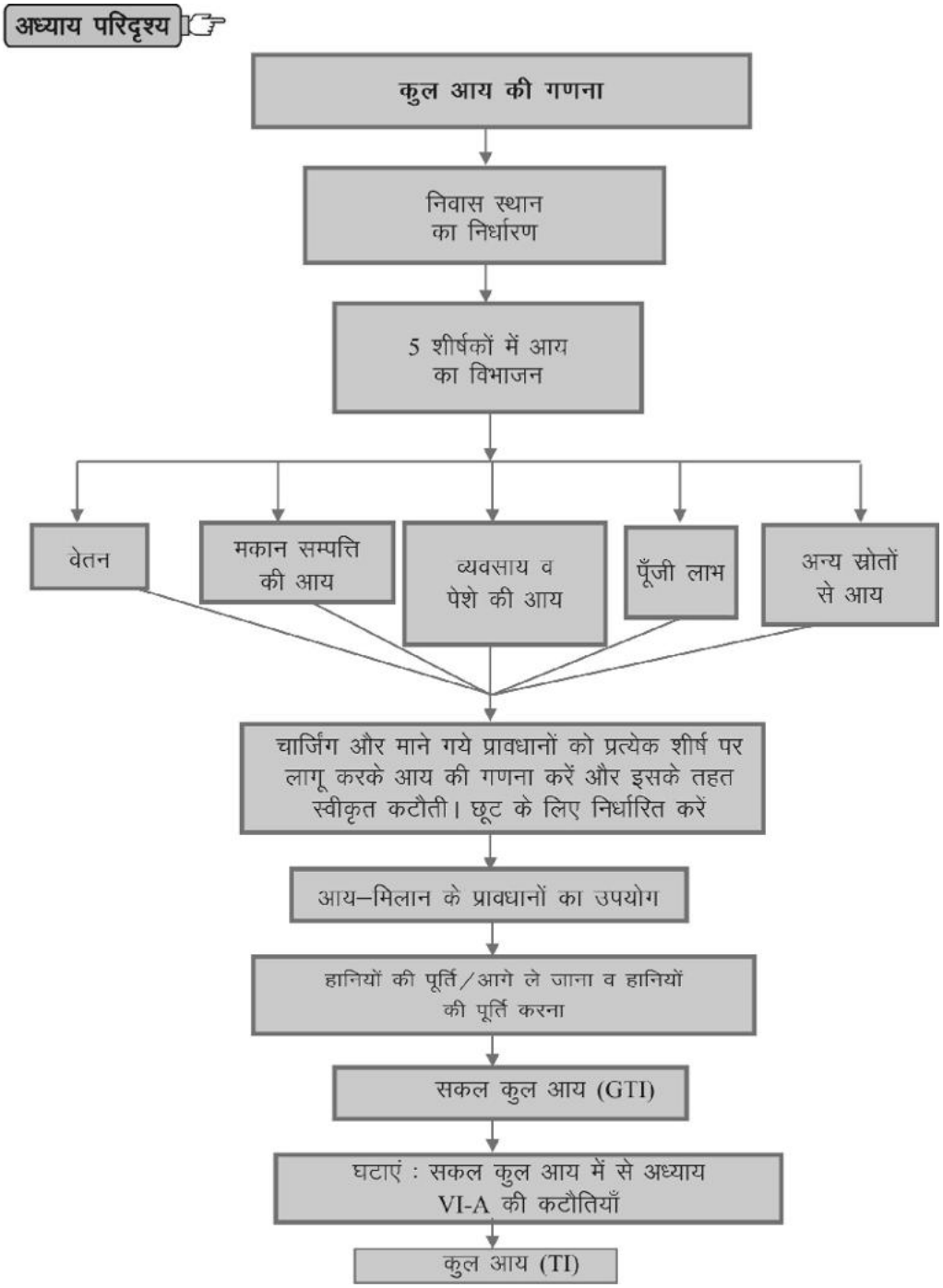

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. कुल आय का अर्थ (Meaning of Total Income)

कुल आय का निर्धारण सकल कुल आय में से अध्याय VI-A की कटौतियाँ घटाने के बाद किया जाता है। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि आय मिलान के प्रावधानों व हानि–पूर्ति तथा आगे ले जाने के प्रावधानों को लागू करते हुए 5 शीर्षकों की शुद्ध आय का योग सकल कुल आय कहलाती हैं।

2. व्यक्ति की कुल आय की गणना के लिए समझी जाने वाली आय (Income to be Considered While Computing total Income of Individuals)

	व्यक्ति की आय उपार्जन सामर्थ्य	प्रत्येक स्थिति में आय का व्यवहार
(1)	व्यक्ति की हैसियत से (आय के 5 शीर्षकों में)	वेतन से आय, मकान सम्पत्ति से आय, व्यवसाय व पेशे के लाभ, पूँजी लाभ, अन्य स्रोतों से आय
(2)	फर्म के साझेदार के रूप में	(i) वेतन, बोनस प्राप्ति को व्यावसायिक आय की तरह कर योग्य है। (ii) फर्म के ऋण व पूँजी पर ब्याज साझेदार की व्यवसाय की आय के रूप में कर लगाया जाता है। (i) व (ii) में वर्णित आयों को उतना कर योग्य माना जाता है। जितने उन्हें फर्म को कटौती योग्य माना गया। (iii) लाभ का हिस्सा साझेदार के नाम में कर मुक्त होगा।
(3)	HUF के सदस्य के रूप में	(i) HUF में लाभ का हिस्सा सदस्य के नाम में कर मुक्त है। (ii) HUF की अविभाज्य सम्पत्ति से आय उस सदस्य के नाम में कर योग्य है जो सबसे बड़ा हो। (iii) स्वयं की हासिल सम्पत्ति की आय को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में बदलना।
(4)	व्यक्ति की आय में अन्य व्यक्तियों की आय को शामिल करना	(i) हस्तांतरिती की आय जहाँ सम्पत्ति हस्तांतरण बिना आय का हस्तांतरण हो। (ii) हस्तांतरिती की उदित आय जहाँ सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तांतरण हो। (i) व (ii) की दशाओं में आय को हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाएगा। (iii) धारा 64(1) में वर्णित जीवन साथी की आय (iv) पुत्रवधू को या उसके लाभ के लिए अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित सम्पत्ति से आय। (v) 64(1A) में वर्णित अवयस्क की आय।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. व्यक्तियों की कुल आय व कर दायित्व की गणना (Computation of Total Income and Tax Liability of Individuals)

आयकर करदाता की कुल आय पर लगता है। ऐसी कुल आय की गणना आय कर अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप होती है। इस हेतु कुल आय की गणना करने की प्रक्रिया विस्तार रूप में नीचे दी गई है :

चरण-1—निवास स्थान का निर्धारण (Step 1 – Determination of residential status)

किसी व्यक्ति की कुल आय में कौन–कौन सी आय शामिल हों, यह निश्चित करने के लिए उसके निवास स्थिति का निर्धारण करना होगा।

- व्यक्ति की दशा में, गत वर्ष में/पिछले गत वर्ष में भारत में ठहराव से उसका निवास स्थान निर्धारित होगा।
- एक व्यक्ति/HUF हो सकता है :
  - — निवासी व साधारणतया निवासी
  - — निवासी लेकिन साधारणतया निवासी नहीं
  - — अनिवासी
- व्यक्ति व HUF से भिन्न करदाता या तो निवासी होंगे या अनिवासी
- एक भारतीय कम्पनी भारत में निवासी होगी
- एक गैर भारतीय कम्पनी जिसका किसी वर्ष में प्रभावी प्रबंध भारत में हो, वह उस वर्ष के लिए निवासी होगी।
- प्रत्येक अन्य करदाता के लिए निवास स्थान का निर्धारक उस वर्ष में उसके कार्यों का प्रबन्ध व नियंत्रण का स्थान होगा अर्थात् या तो भारत में या भारत के बाहर।
- किसी व्यक्ति का निवास स्थान उसकी कर योग्य आय को निर्धारित करता है।

उदाहरणार्थ, वह आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई तथा बाहर ही प्राप्त हुई, एक निवासी व सामान्यतया निवासी के लिए कर योग्य होगी, लेकिन अनिवासी के लिए नहीं।

चरण 2—विभिन्न शीर्षकों में आय का बंटवारा (Step 2 – Classification of income under different heads)

- आय के 5 शीर्षक हैं, नामवार—
  - — वेतन
  - — मकान सम्पत्ति से आय
  - — व्यवसाय व पेशे की आय
  - — पूंजी लाभ
  - — अन्य स्रोतों से आय

© The Institute of Chartered Accountants of India

- किसी व्यक्ति की आय को उससे सम्बन्धित शीर्षक में शामिल करें।
- प्रत्येक आय के शीर्षक में एक कर आरोपित करने वाली धारा है। (उदाहरण के लिए, वेतन के लिए धारा 15 मकान सम्पत्ति में धारा 22)
- कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर कुछ विशिष्ट मदों को उन शीर्षकों से सम्बन्धित माना गया है।

  उदाहरणार्थ, पूर्व के वर्षों में अशोध्य ऋण यदि कटौती के रूप में स्वीकृत होने के बाद अगले वर्षों में वसूल होने पर उन्हें व्यावसायिक आय माना जाएगा।

  करारोपण धारा व मान्य प्रावधानों से यह निर्धारित हो जाएगा कि किसी विशेष शीर्षक का क्षेत्र क्या है।

चरण 3—प्रत्येक शीर्षक की आय की गणना (Step 3 – Computation of income under each head)

- आय की गणना शीर्षक विशेष के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
- प्रत्येक शीर्षक की आय का आकलन—
  - — करारोपण व मान्य प्रावधानों का प्रयोग
  - — धारा 10 की करमुक्त आयों को प्रत्येक शीर्षक से हटाकर

    कुछ आयें हैं जो पूर्णतया आयकर मुक्त हैं (अर्थात् कृषि आय) इन आयों को शामिल नहीं करना तथा सकल कुल आय का हिस्सा न होंगी।

    तथापि, कुछ आयें आंशिक रूप से कर मुक्त हैं (जैसे HRA, शिक्षा भत्ता) इन आयों को विधान में निर्दिष्ट सीमा तक हटाना है।
  - — शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौतियों को घटाकर और

    उदाहरणार्थ, मकान सम्पत्ति से आय की गणना के लिए निगम कर, ऋण पर ब्याज कटौती के रूप में अनुमत हैं। इसी प्रकार, अन्य शीर्षकों में भी कटौतियाँ व छूट निर्धारित हैं।
  - — अस्वीकार्य छूटों को अस्वीकार करना।

    उदाहरण के लिए, जब "व्यवसाय या पेशे से लाभ या आय" व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय और अपराध की प्रकृति तहत में व्यय के तहत आय की गणना करते हुए कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इस तरह के व्यय, लाभ–हानि खाते में डेबिट होने चाहिए तथा इस शीर्षक के तहत आय की गणना करते समय वापस जोड़ा जाना चाहिए।

    इसी तरह पूंजीगत लाभ के लिए शुद्ध प्रतिफल की गणना करते समय, दलाली, सकल बिक्री के प्रतिफल से एक अनुमन्य कटौती है,लेकिन प्रतिभूति लेनदेन कर का भुगतान अनुमन्य नहीं है।

चरण 4—जीवन साथी, अवयस्क बच्चे इत्यादि की आय को मिलाना (Step 4 – Clubbing of income of spouse, minor child etc.)

- उच्च श्रेणी के करदाताओं की यह प्रवृत्ति है कि वे अपनी आय को इस तरह उन लोगों को दे देते हैं, जो या तो कर देते नहीं हैं या कम दर से उन पर कर लगता है।

  उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति स्थायी जमा अपने पुत्र के नाम में करके इसलिए करते हैं, जिसकी अन्य कोई आय न हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ऐसे साधनों द्वारा आयकर की चोरी रोकने के लिए, क्लविंग प्रावधानों को आयकर अधिनियम 1961 में शामिल किया गया है, जिसके तहत कुछ व्यक्तियों (जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि) को होने वाली आय को उस व्यक्ति के लिए जिसने कर देयता की गणना करने के उद्देश्य से अपनी आय ऐसे व्यक्ति को दे दी है, में शामिल किया जाता है।
- उदाहरणार्थ, अवयस्क संतान की आय को उस माँ या बाप की आय में जोड़ेंगे जिसकी आय (संतान की आय को छोड़कर) अधिक हो। ऐसी आय को माँ–बाप की आय में जोड़कर धारा 10(32) में प्रति संतान ₹ 1,500 की कटौती देते हैं।
- लेकिन यदि अवयस्क संतान आय को अपने कौशल, प्रतिभा जैसे संगीत, नृत्य इत्यादि,तो ऐसी आय माता–पिता की आय में शामिल न होगी।

चरण 5—हानियों की पूर्ति या आगे ले जाकर हानि–पूर्ति (Step 5 – Set-off or carry forward and set-off of losses)

एक व्यक्ति के एक आय शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय के स्रोत हो सकते हैं। उस एक स्रोत में लाभ तथा अन्य स्रोत से हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए, किराए के मकान से लाभ तथा रिहायशी मकान से हानि हो सकती है। इस हानि की पूर्ति किराए के मकान से करते हुए 'मकान सम्पत्ति की आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय निकाली जा सकती है।

- **हानियों की अन्तः स्रोत पूर्ति**
  - एक व्यक्ति के पास उसी आय के शीर्ष के तहत एक स्रोत से आय तथा दूसरे स्रोत से हानि हो सकती है। उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति को माल के थोक व्यापार से लाभ तथा वाहन चलाने के व्यवसाय से हानि हो सकती है।

    "व्यवसाय या पेशे से लाभ" शीर्षक के तहत, शुद्ध आय प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय से हानि को दूसरे व्यवसाय के लाभ से पूर्णित किया जा सकता है।
  - आय के उसी शीर्षक के भीतर एक स्रोत से हानि को दूसरे स्रोत के लाभ से पूर्णित करना स्वीकृत है, कुछ अपवादों को छोड़कर जैसे दीर्घकालीन पूँजीगत हानि को अल्पकालिक पूँजीगत लाभ से पूर्णित नहीं किया जा सकता दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ से अल्पकालिक पूँजीगत हानि को पूर्णित किया जा सकता है।
- **अन्तः शीर्षक हानियों की पूर्ति**
  - इस शीर्षक की हानि का सेटऑफ (कहें, घर की सम्पत्ति से नुकसान) दूसरे शीर्षक की आय (कहें वेतन) से भी अनुमान्य है कुछ अपवादों के अधीन जैसे कि व्यावसायिक हानि वेतन आय से सेटऑफ नहीं हो सकती है।
  - साथ ही, 'मकान सम्पत्ति' शीर्षक के तहत हानि को केवल ₹ 2 लाख की सीमा तक किसी अन्य शीर्षक के तहत आय से सेटऑफ किया जा सकता है।
- **हानियों की आगे ले जाकर पूर्ति**
  - चालू वर्ष की अनावशोषित हानि को उसके शीर्षक से अगले वर्षों में पूरा करने के लिए आगे ले जा सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

— यहाँ पर भी अन्तः स्रोत पूर्ति के लिए निर्धारित प्रतिबद्ध लागू होंगे जैसे लाए गई दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही होगी न कि अल्पकालीन पूँजी लाभों से।

— हानि को आगे ले जाने की समय सीमा भी अधिनियम में निर्धारित जैसे व्यावसायिक हानि को अगले वर्ष में पूरा करने के लिए आगे ले जाने की समय सीमा 8 वर्ष है।

चरण 6—सकल कुल आय की गणना (Step 6 – Computation of Gross Total Income)

- प्रत्येक शीर्षक में गणना की गई आयों को आय–मिलान सम्बन्धी प्रावधानों हानियों की पूर्ति तथा उन्हें आगे ले जाकर पूर्ति करने सम्बन्धी प्रावधानों को लागू करने के बाद समग्र जोड़ करते हुए सकल कुल आय को निकाला जाता है।
- GTI के गणन की प्रक्रिया को आगे दिखाया गया है :

प्रत्येक शीर्षक की आय को जोड़िए ⟶ आय–मिलान प्रावधानों को लागू कीजिए ⟶ हानियों की पूर्ति व आगे लाकर पूर्ति करने के प्रावधानों को प्रयोग करें।

चरण 7—सकल कुल आय से कटौतियाँ (Step 7 – Deductions from Gross Total Income)

कुल आय पर आने के लिए कुछ कटौती सकल कुल आय से स्वीकार्य है। अध्याय VI-A में निहित इन कटौतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

- **कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ**

धारा	भुगतान/जमा की प्रकृति
80C	जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, PPF में जमा, हाउसिंग ऋण का भुगतान इत्यादि।
80D	व्यक्ति/HUF के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों के चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान/CGHS इत्यादि में अंशदान।
80E	स्वयं या सम्बन्धी के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज

- **कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ, उदाहरण**

धारा	आय की प्रकृति
80QQB	पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय
80RRB	पैटेंट्स पर रॉयल्टी

- **अन्य आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ**

धारा	आय की प्रकृति
80 TTA	बैंक, सहकारी संस्था तथा डाक घर के बचत खाते पर ब्याज
80 TTB	वरिष्ठ नागरिक के मामले में, बैंक, सहकारी संस्था तथा बैंक से जमा पर ब्याज

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **अन्य कटौतियाँ**

  दिव्यांग व्यक्ति की दशा में 80U की कटौती, ये कटौतियाँ इनकी प्रासंगिक धाराओं में निर्धारित शर्तों व सीमाओं के अधीन हैं।

  ये कटौतियाँ सम्बन्धित धाराओं में निर्दिष्ट शर्तों की सन्तुष्टि के लिये स्वीकार्य हैं। कुछ धाराओं के तहत कटौती के सम्बन्ध में सीमाएं हैं। भुगतान/आय, ऐसी सीमाओं के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं। उदाहरण के लिये, धारा 80 RRB के तहत अधिकतम कटौती ₹ 3 लाख है।

चरण 8—**कुल आय** (Step 8 – Total income)

- अध्याय VI A की कटौतियों को GTI में से घटाने के बाद कुल आय कहलाती है।

  कुल आय = सकल कुल आय – सकल कुल आय में से अध्याय VI-A की कटौतियाँ
- इसे 10 के गुणक में सन्निकटित करते हैं।
- करदाता की कुल आय पर कर की गणना की जाती है।

चरण 9—कुल आय पर कर की दरों को लागू करना (Step 9 – Application of the rates of tax on the total income)

- दरों को वित्तीय अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।
- व्यक्तियों के लिए आधारभूत छूट की सीमा तथा स्लैब हैं। वर्तमानों में आधारभूत छूट की सीमा ₹ 2,50,000 है अर्थात् 2,50,000 तक कर शून्य होगा कर की दरें तथा कुल आय के स्तर निम्न प्रकार हैं—

	कुल आय स्तर	कर की दरें
(i)	जहाँ आय ₹ 2,50,000 से अधिक न हो	शून्य
(ii)	जहाँ आय ₹ 2,50,000 से अधिक लेकिन ₹ 5 लाख से कम हो	₹ 2.5 लाख से अधिक आय का 5%
(iii)	₹ 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम	₹ 12,500 + ₹ 5 लाख से अधिक आय का 20%
(iv)	₹ 10 लाख से अधिक आय पर	₹ 1,12,500 + ₹ 10 लाख से अधिक का 30%

- वरिष्ठ नागरिक के लिए (पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का निवासी व्यक्ति होना) के लिए मूल छूट सीमा ₹ 3 लाख है तथा बहुत वरिष्ठ नागरिक (पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या) उसमें अधिक आयु का निवासी व्यक्ति होना) के लिए मूल छूट सीमा ₹ 5 लाख है। इसलिए ऐसे कर निर्धारिती के लिए कर स्तर अग्र प्रकार से है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

वरिष्ठ निवासी भारतीय नागरिकों के लिए (जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम हो)

	कुल आय स्तर	कर की दरें
(i)	₹ 3,00,000 तक की आय पर	शून्य
(ii)	₹ 3,00,000 से अधिक ₹ 5 लाख से कम	3 लाख से अधिक का 5%
(iii)	₹ 5,00,000 से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम	₹ 10,000 + ₹ 5 लाख से अधिक का 20%
(iv)	₹ 10,00,000 अधिक कुल आय	₹ 1,10,000 + ₹ 10 लाख से अधिक का 30%

गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष या अधिक के निवासी भारतीय नागरिक

	कुल आय स्तर	कर की दरें
(i)	₹ 5 लाख की आय पर	शून्य
(ii)	₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम	5 लाख से अधिक का 20%
(iii)	₹ 10 लाख से अधिक कुल आय पर	₹ 1 लाख + ₹ 10 लाख से अधिक का 30%

- कम्पनियाँ तथा फर्मों की कर देयता बिना छूट सीमा के सामान्य दर से निर्धारित होगी।
- कर की दरें कर देयता के लिए कुल आय पर लागू होंगी।
- कुछ आयों के सम्बन्ध में कर की दरें आय कर अधिनियम, 1961 के तहत ही प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिये, कुछ सम्पत्तियों पर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ, अन्य सम्पत्तियों पर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ, कुछ अल्पकालीन पूँजीगत लाभ तथा लॉटरी से जीत, वर्ग पहेली, दौडें आदि के लिये कर की दरें। क्रमश : धारा 112, 112A, 111A तथा 115BB में निर्धारित हैं। उपर्युक्त मामलों में कर की दरें क्रमशः 20%, 10%, 15% तथा 30% हैं। धारा 112A के तहत, किसी कम्पनी या समता उन्मुख फंड की इकाई या व्यापारिक ट्रस्ट की इकाई के समता अंशों के हस्तांतरण पर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ ₹ 1,00,000 से अधिक है तो 10% की दर से कर योग्य है।
- विशेष दरें कुल आय के सम्बन्धित हिस्से पर तथा सामान्य स्लैब दरें छूट सीमा के बाद की शेष आय पर लागू होंगी।
- असमाप्त आधारभूत छूट सीमा को धारा 112A के अन्तर्गत कर योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ व धारा 111A के अन्तर्गत कर योग्य अल्पकालीन पूँजी लाभों से समायोजित किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

चरण 10—धारा 87 A के तहत छूट (जहाँ कुल आय ≤ ₹ 3,50,000 हो)/अधिभार (जहाँ कुल आय > ₹ 50,00,000 हो) [Step 10 – Rebate under section 87A (where total income ≤ ₹ 5,00,000) / Surcharge (where total income > ₹ 50,00,000)]

धारा 87A के तहत छूट : 5% कर स्लैब में आने वाले व्यक्तिगत कर दाताओं को राहत प्रदान करने के लिये, धारा 87A एक कर निर्धारिती द्वारा देय कर से छूट प्रदान करता है, जो भारत में एक निवासी व्यक्ति है; जिसकी कुल आय **₹ 5,00,000** से अधिक नहीं है। छूट किसी कर निर्धारण वर्ष में कुल आय पर देय आय कर की राशि या **₹ 12,500** जो भी कम हो उसके बराबर होगी।

हाँलाकि, धारा 112A के तहत कर योग्य दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पर 10% की दर से देय कर के सम्बन्ध में धारा 87A के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

अधिभार (Surcharge) : अधिभार आय कर से बढ़कर अतिरिक्त देय कर है। अधिभार आयकर की प्रतिशतता में लगाया जाता है। ऐसे मामले जहाँ एक व्यक्ति/HUF/AOP/BOI की कुल आय ₹ 50 लाख से अधिक पर ₹ 1 करोड़ से कम है, तो अधिभार आय कर की 10% की दर से देय है; ऐसे व्यक्ति की कुल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक के मामले में अधिभार, आयकर की **15%** की दर से देय है।

कुल आय (1)	**अधिभार** (2)
> ₹ 50,00,000 ≤ ₹ 1 करोड़	आय कर का 10%
> ₹ 1 करोड़ ≤ ₹ 2 करोड़	आय कर का 15%
> ₹ 2 करोड़ ≤ ₹ 5 करोड़	आय कर का 25%
> ₹ 5 करोड़	आय कर का 37%

चरण 11—आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (HEC) [Step 11 – Health and education cess (HEC) on income tax]

आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% जोड़कर तथा धारा 87A के तहत छूट जहाँ लागू हो, घटाकर आय कर को बढ़ाया जाता है। यह उन सभी व्यक्तियों द्वारा देय है जो कुल आय के अपने स्तर के लिये आयकर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है।

कुल कर दायित्व	=	**लागू दरों पर कुल आय पर कर**	+	अधिभार, लागू दर पर, यदि कुल आय > ₹ 50 लाख,	+ HEC@4%
			–	धारा 87A के तहत छूट यदि कुल आय ≤ ₹ 5 लाख	

चरण 12—वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) [Step 12 – Alternate Minimum Tax, (AMT)]

अध्याय XII-BA में कम्पनी के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में वैकल्पिक न्यूनतम कर लगाने के लिए विशेष प्रावधान हैं। किसी भी कम्पनी के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसने किसी भी धारा (धारा 80P के अलावा) के तहत कटौती का दावा किया है, अध्याय VI-A में शामिल है। शीर्षक C – कुछ आय के सम्बन्ध में कटौती या धारा 10AA या 35AD के तहत निवेश से जुडी कटौती, AMT के अधीन होगा [धारा 115JEE (1)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालांकि, AMT के प्रावधान किसी व्यक्ति, HUF, AOP, BOI चाहे वह निगमित हो या ना हो, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति की समायोजित कुल आय ₹ 20 लाख से अधिक नहीं है [धारा 115JEE (2)] ।

नोट : इण्टरमीडियेट स्तर पर, चूंकि धारा 80-IA से 80-IE धारा 80JJA, 80LA, 80P और 80PA के तहत प्रदान की गई लाभ से जुड़ी कटौती को अध्ययन के दिशानिर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर रखा गया है। कुल आय और कर देयता की गणना केवल व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं तक ही सीमित है, इस अध्याय में AMT के सम्बन्ध में चर्चा धारा 10AA, धारा 35AD तथा धारा 80JJAA, 80QQB और 80RRB के तहत कटौती के सम्बन्ध में शामिल हैं।

तदानुसार, जहां आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष के लिए देय नियमित आयकर देय है, ऐसे पिछले वर्ष के लिए AMT से कम है, समायोजित कुल आय को व्यक्ति की कुल आय माना जायेगा। ऐसा व्यक्ति समायोजित कुल आय @18.5% पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। [धारा 115JC]

"समायोजित कुल आय" का आशय अध्याय XII-BA के प्रभाव में वृद्धि से पहले कुल आय से है :

(i) धारा 10AA के तहत यदि कोई हो, कटौती का दावा किया;

(ii) कटौती धारा 35AD के तहत दावा की गई, जैसा कि धारा 32 के तहत स्वीकृत मूल्य ह्रास से कम है, जैसा कि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 35AD के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं थी जिसके लिए ऐसी कटौती का दावा किया जाता है, तथा

(iii) किसी निश्चित आय के सम्बन्ध में शीर्षक C- कटौती के तहत अध्याय VI-A में शामिल किसी भी धारा के तहत कटौती [इंटरमीडिएट स्तर के लिए, प्रासंगिक धारा 80JJAA, 80QQB, और 80RRB हैं]

AMT के लिए कर क्रेडिट [धारा 115JD]

कर क्रेडिट वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत देय नियमित आयकर पर देय AMT की अधिकता है। उसी वर्ष में देय AMT से अधिक के अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय नियमित आयकर के अधिक की सीमा तक इस तरह के कर क्रेडिट को आगे और आयकर देय से सेट ऑफ किया जायेगा। शेष कर क्रेडिट यदि कोई है, उसी वर्ष सेट ऑफ के लिए अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जायेगा।

AMT के क्रेडिट को अधिकतम कर निर्धारण वर्षों तक उस कर निर्धारण वर्ष के बाद जिसमें यह क्रेडिट स्वीकृत होता है, अधिकतम 15 कर निर्धारण वर्षों तक सेट ऑफ या आगे ले जाया जायेगा।

समायोजित कुल वर्ष में कुल आय 20 लाख से अधिक नहीं होने पर भी कर क्रेडिट स्वीकार्य है [धारा 115JEE (3)]

ऐसे मामले में जहां कर निर्धारिती ने धारा 10AA या धारा 35AD या किसी भी पिछले वर्ष में धारा 80JJAA, 80QQB और 80RRB के तहत किसी कटौती का दावा नहीं किया है और उस

© The Institute of Chartered Accountants of India

वर्ष की समायोजित कुल आय ₹ 20 लाख से अधिक नहीं है, वह उस वर्ष में अपने आगे लाया AMT क्रेडिट को सेट–ऑफ करने का हकदार होगा।

चरण 13 : अग्रिम कर, TDS और TCS के लिए क्रेडिट (Step 13 : Credit for advance tax, TDS and TCS)

- वेतन किराया, ब्याज, पेशेवर सेवाओं के लिए फीस, रॉयल्टी आदि के भुगतान के समय स्रोत पर कर घटाया जाता है।
- भुगतान करने वाले को सम्बन्धित अनुभाग में निर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कर कटौती करनी होती है, मानो रॉयल्टी और पेशेवर सेवाओं की फीस, सम्बन्ध में कर में 10% की कटौती की जाती है।
- स्रोत पर घटाए गए कर को अपने शुद्ध कर दायित्व का निर्धारित करने के लिए अदाता द्वारा कम किया जाना चाहिए।
- संबंधित अनुभाग में निर्दिष्ट दर पर कुछ सामनों के मामले में विक्रेता द्वारा कर संग्रहणीय है। स्रोत पर ऐसे कर संग्रह का क्रेडिट कर देयता निर्धारित करने के लिए स्वीकार्य है।
- आयकर अधिनियम, 1961 में अनुमानित आय के आधार पर पिछले वर्ष के दौरान किस्तों में अग्रिम कर के भुगतान की आवश्यकता होती है, यदि TDS/TCS को कम करने के बाद देय 10,000 या उससे अधिक है।
- दोनों कॉर्पोरेट और गैर–कॉर्पोरेट कर निर्धारिती को वित्तीय वर्ष के 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को या उससे पहले चार किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यकता है।
- दोनों 44AD या धारा 44ADA के अन्तर्गत आनुमानिक प्रावधानों को चुनने वाला कर निर्धारिती, हालांकि, वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले अपने पूर्ण अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है।
- सम्बन्धित मूल्यांकन वर्ष के लिए भुगतान किए गए अग्रिम कर, टीसीएस और टीडीएस को कुल देय कर से कटौती करें।

शुद्ध कर दायित्व = कुल कर दायित्व – TDS – TCS – अग्रिम कर भुगतान किया हुआ

चरण 14 - योग्य कर देय/कर वापसी (Step 14 - Tax Payable/Tax Refundable)

स्रोत पर काटे गए अग्रिम कर और कर को समायोजित करने के बाद, निर्धारिती शुद्ध कर देय या वापसी योग्य की राशि पर पहुंच जाएगा। इस तरह की राशि को ₹ 10 के निकटतम गुणक में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कर निर्धारिती को रिटर्न दाखिल करते समय भुगतान योग्य कर (स्वय–मूल्यांकन कर) का भुगतान करना होता है। इसी तरह यदि कोई धन वापसी बकाया है, तो आय का रिटर्न दाखिल करने के बाद वही निर्धारिती को मिलेगा।

नोट : छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कुल आय और कर देयता की गणना पर समस्याओं को हल करते समय उपर्युक्त चरणों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विवरण का पालन करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) **1**

एक अमेरिकन नागरिक मिस चार्ली की USA में भारतीय श्री राधे से 02.03.2019 को शादी हुई तथा प्रथमबार 16.03.2019 को भारत आई। वह 19.09.2019 को U.S.A. लौट गई। 27.03.2020 को पुनः भारत आई। भारत में रहते उन्होंने मुम्बई में 22.04.2019 को एक शोरूम खरीदा जिसे 01.05.2019 से एक कम्पनी को ₹ 25,000 प्रतिमाह किराए पर दिया। इसे क्रय करने के लिए उसने बैंक ऋण पर ब्याज ₹ 97,500 31.03.2020 तक चुकाया। उसने अपने सम्बन्धी व दोस्तों से 1.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्न उपहार प्राप्त किए :

—	*पति के माता–पिता से*	*₹ 51,000*
—	*पति की विवाहित बहिन से*	*₹ 11,000*
—	*पति के दो अन्य अनन्य मित्रों से ₹ 1,51,000 व ₹ 21,000,*	*₹ 1,72,000*

उसकी आवासीय स्थिति का निर्धारण करें तथा निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ऐसी आय पर देय कर की राशि के साथ कर की कुल आय को करयोग्य करें।

उत्तर (Answer)

धारा 6(1) में कोई व्यक्ति भारत में निवासी होगा यदि गतवर्ष में उसने निम्न में से कोई एक शर्त पूरी की हो।

(i) वह भारत में गतवर्ष के 182 या अधिक दिन भारत में रहा हो, या

(ii) गतवर्ष से तुरन्त पूर्व के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन भारत में रहा हो तथा गतवर्ष में 60 दिन या अधिक भारत में रहा हो।

यदि व्यक्ति किसी एक शर्त को पूरी करता है तो वह निवासी होगा। यदि कोई एक शर्त पूरी न हो तो वह अनिवासी होगा।

इसलिए AY 2020-21 के लिए मिस चार्ली, एक अमेरिकी राष्ट्रीय की आवासीय स्थिति पिछले वर्ष के दौरान भारत में उसके रहने के आधार पर निर्धारित की जानी है, जो कि AY 2020-21 के लिए प्रासंगिक है, जो कि AY 2019-20 और पूर्ववर्ती चार निर्धारण वर्षों में।

पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान और पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान भारत में उनका आवास निम्नानुसार है :

गतवर्ष 2019-2020

01.04.2018 से 19.09.2019	—	172 दिन
27.03.2019 से 31.03.2019	—	5 दिन
कुल		177 दिन

चार पूर्व के गत वर्षों में

गतवर्ष 2018-19 (1.04.2018 से 31.03.2019)	—	16 दिन

© The Institute of Chartered Accountants of India

गतवर्ष 2017-18 (1.4.2017 से 31.3.2018)	—	शून्य
गतवर्ष 2016-17 (1.4.2016 से 31.3.2017)	—	शून्य
गतवर्ष 2015-16 (1.4.2015 से 31.3.2016)	—	शून्य
कुल		16 दिन

करदाता का गतवर्ष में कुल ठहराव भारत में 182 दिन से कम तथा पूर्व के 4 गतवर्षों में भारत में ठहराव 16 दिन रहा। अतः शर्त/शर्तें पूरी न होने के कारण उसे A.Y. 2020-21 में अनिवासी माना जाएगा।

चार्ली की कुल आय की गणना (A.Y. 2020-21)

विवरण		₹	₹
मकान सम्पत्ति से आय			
शोरूम का किराया 1.05.2019 से 31.03.2020 तक @ ₹ 25,000 प्रतिमाह		2,75,000	
सकल वार्षिक मूल्य [**देखें नोट** 1] [₹ 25,000 × 11]			
घटाएँ : निगम कर		शून्य	
शुद्ध वार्षिक मूल्य		**2,75,000**	
— धारा 24 में कटौती			
शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%	82,500		
ऋण पर ब्याज	97,500	1,80,000	95,000
अन्य स्रोतों से आय			
सम्बन्धियों से प्राप्त उपहार धारा 56(2)(X) में कर योग्य है, क्योंकि ₹ 50,000 मूल्य से अधिक है।			
— ₹ 50,000 पति के माता–पिता से प्राप्त कर मुक्त है, क्योंकि सम्बन्धियों से प्राप्त उपहार कर मुक्त है।		शून्य	
— पति की विवाहित बहिन से प्राप्त उपहार कर योग्य नहीं है, ₹ 11,000 की राशि कर मुक्त		शून्य	
— पति के दोस्त से प्राप्त ₹ 1,72,000 की राशि धारा 56(2)(X) में कर योग्य [**देखें नोट** 2]		1,72,000	1,72,000
कुल आय			**2,67,000**

मिस चार्ली द्वारा देय कर की गणना (A.Y. 2020-21)

विवरण	₹
₹ 2,67,000 की आय पर कर	850
जोड़ो : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @ 4%	34
कुल देय कर	**884**
Total tax payable (rounded off)	**880**

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट्स :

1. अन्य सूचना के अभाव में प्राप्त किराए की राशि को ही सकल वार्षिक मूल्य माना गया है। (अर्थात् प्राप्त किराया, उचित किराया, प्रमाप किराया)।
2. यदि गैर–सम्बन्धी से करयोग्य उपहार ₹ 50,000 से अधिक हों तो कर योग्य होंगे। अतः ₹ 1,72,000 की समस्त राशि 56 (2) (X) में कर योग्य होगी।
3. क्योंकि चार्ली 2020-21 में अनिवासी हैं तो 87A की छूट उपलब्ध न होगी चाहे कुल आय ₹ 5 लाख से कम हो।

प्रश्न (Question) **2**

डॉ. निरंजन एक निवासी व्यक्ति जो 60 वर्ष के हैं एक क्लीनिक चलाते हैं। उनका 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय खाता निम्न है :

व्यय	*₹*	*आय*	*₹*
दवाइयाँ	*35,38,400*	*चिकित्सा एवं परामर्श शुल्क*	*58,85,850*
स्टाफ वेतन	*13,80,000*	*आयकर वापसी (मूल ₹5,000 ब्याज ₹450)*	*5,450*
क्लीनिक दैनिक व्यय	*1,10,000*	*U.T.I. से लाभांश*	*10,500*
किराया	*90,000*	*TV शो से प्राप्त शुद्ध (TDS ₹15,000)*	*35,000*
प्रशासन व्यय	*2,55,000*	*किराया*	*27,000*
धारा 35 में अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान को दान	*1,50,000*		
शुद्ध लाभ	*4,40,400*		
	59,63,800		***59,63,800***

(i) किराया भुगतान में ₹ 30,000 स्वयं के किराये के रिहायशी मकान के चेक द्वारा भुगतान राशि शामिल है।

(ii) क्लीनिक यंत्र हैं :

1.04.2019 प्रारम्भिक W.D.V. — ₹5,00,000

7.12.2019 चेक से क्रय — ₹2,00,000

(iii) प्राप्त किराए में सूरत में स्थित सम्पत्ति से प्राप्त हैं। सकल वार्षिक मूल्य, ₹ 27,000 म्युनिसिपल कर ₹2,000 दिसम्बर, 2019 में भुगतान जो प्रशासन व्यय में शामिल हैं।

(iv) ₹7,500 प्रतिमाह वेतन पूर्ण इलाह हॉस्पीटल से प्राप्त जो परामर्श शुल्क में शामिल नहीं है।

(v) ₹ 5,50,000 का बैंक लोन अपनी पुत्री की शिक्षा हेतु लिया 1 वर्ष 2019-20 में मूल ₹1,00,000 व ब्याज ₹55,000 का भुगतान।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(vi) ₹ 1,00,000 ट्यूशन फीस का भुगतान किया जो विकास फीस या दान के रूप में नहीं था।

(vii) ₹ 28,000 का भुगतान चेक से 27 मार्च, 2020 को चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान।

A.Y. 2020-21, की डॉ. निरंजन की कुल आय की गणना करें।

उत्तर (Answer)

निरंजन की कुल आय व कर देयता की गणना (A.Y. 2020-21)

	विवरण	₹	₹	₹
I	**वेतन से आय** (₹ 7,500 × 12)		90,000	
	घटाएँ : मानक कटौती धारा 16(ia)		50,000	40,000
II	**मकान सम्पत्ति से आय**			
	सकल वार्षिक मूल्य		27,000	
	घटाओ : म्यूनिसिपल कर		2,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य (NAV)		25,000	
	घटाओ : NAV का 30% धारा 24 से 25,000 के		7,500	17,500
III	**पेशे से आय**			
	आय व्यय खाते में प्रदत्त शुद्ध लाभ		4,40,400	
	घटाओ : आय के मद (अलग व्यवहार)			
	(i) प्राप्त किराया	27,000		
	(ii) UTI लाभांश	10,500		
	(iii) TV शो में गेम जीतना (TDS काट कर)	35,000		
	(iv) आयकर वापसी	5,450	77,950	
			3,62,450	
	घटाएं : स्वीकार्य व्यय			
	क्लीनिक यन्त्रों पर ह्रास			
	₹ 5,00,000 पर 15%	75,000		
	₹ 2,00,000 पर 7.5%	15,000		
	(दिसम्बर 19 में क्रय यंत्रों पर साधारण ह्रास का 50% स्वीकृत होगा क्योंकि प्रथम वर्ष में 180 दिन से कम प्रयुक्त हुए हैं)			
	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अतिरिक्त कटौती (क्योंकि 150% की भारित कटौती ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में)	75,000	1,65,000	
			1,97,450	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	जोड़ो : व्यावसायिक आय की गणना में अस्वीकार्य व्यय			
	(i) आय और व्यय खाते में शामिल उसके आवासीय स्थान का किराया	30,000		
	(ii) प्रशासनिक कर में शामिल उसके सूरत में आवासीय मकान से सम्बन्धित भुगतान किया गया म्युनिसिपल कर।	2,000	32,000	2,29,450
IV	**अन्य स्रोतों से आय**			
	(i) आयकर वापसी पर ब्याज		450	
	(ii) UTI पर लाभांश	10,500		
	घटाएँ : धारा 10(35) में कर मुक्त	10,500	शून्य	
	(c) गेम शो से जीत (₹ 35,000 + ₹ 15,000)		50,000	50,450
	सकल कुल आय			**3,37,400**
	घटाएँ : अध्याय VI A की कटौतियाँ			
	(a) धारा 80C उसकी पुत्री के लिए पूर्णकालिक शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी की दी गई ट्यूशन फीस		1,00,000	
	(b) धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम (पूरी तरह से अनुमत है जब तक वह वरिष्ठ नागरिक है।		28,000	
	(c) धारा 80E उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज कटौती योग्य है।		55,000	1,83,000
	कुल आय			**1,54,400**

नोट्स :

(i) आयकर रिफण्ड की ओर प्राप्त मूल राशि को कुल आय की गणना के बाहर रखा गया है। प्राप्त ब्याज "अन्य स्रोत से आय" शीर्षक के तहत कर योग्य है।

(ii) TV पर गेम शो सी जीत "अन्य स्रोत से आय" (₹ 35,000 + ₹ 15,000) शीर्षक के तहत उत्तरदायी होगी। फिर कर की देयता की गणना के समय, कर देयता पर पहुंचने के लिए ₹ 15,000 पर TDS काटा जाना चाहिए। गेम शो से जीत धारा 115BB के अनुसार @ 30% कर के लिए है।

(iii) चूंकि डॉ. निरंजना सूरत में अपने किराए के घर में रह रही हैं, वे धारा 80GG के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है, जैसे उनका सूरत में एक घर है जिसे उसने किराए पर दिया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न (Question) **3**

पूर्वी एक प्रैक्टिस करने वाली चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उसके खाते रोकड़ आधार पर रखे गए हैं। उसका आय–व्यय खाता 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए निम्न प्रकार है :

व्यय	*₹*	*आय*	*₹*	*₹*
स्टाफ को वेतन	*15,50,000*	*अर्जित फीस*	*27,88,000*	
आर्टीकल्ड सहायकों	*1,37,000*	*करारोपण सेवाएं*	*15,40,300*	
को सहायता राशि		*परामर्श शुल्क*	*12,70,000*	*55,98,300*
आर्टीकल्ड सहायकों को प्रोत्साहन राशि	*13,000*	*भारतीय कम्पनियों के अंशों पर लाभांश (सकल)*		*10,524*
कार्यालय किराया	*12,24,000*	*UTI से आय*		*7,600*
छपाई व कागज	*12,22,000*	*विभिन्न संस्थाओं*		
मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस	*31,600*	*से उत्तर पुस्तिकाओं*		
कार क्रय की	*80,000*	*के मूल्यांकन की राशि*		*15,800*
कार की मरम्मत व पेट्रोल	*4,000*	*फ्लैट के किराए से प्राप्त राशि*		*85,600*
यात्रा व्यय	*5,25,000*			
मकान सम्पत्ति पर कर	*3,000*			
शुद्ध लाभ	*9,28,224*			
	57,17,824			***57,17,824***

अन्य सूचना :

(i) मोटरकार पर स्वीकृत ह्रास 15%

(ii) पेशे के दौरान ग्राहकों से प्राप्त लाभों का मूल्य ₹10,500

(iii) दो आर्टीकल्ड सहायकों को प्रोत्साहन राशि उन्हें IPCC Exam प्रथम बार में पास होने के लिए दी गई है।

(iv) कार के रिपेयर व रखरखाव की ₹2,000 की राशि 1.10.19 से 30.09.20

(v) वेतन में ₹ 30,000 शामिल दोनों कम्प्यूटर विशेषज्ञ को नकद भुगतान जो पूर्वी को पेशेवर एसाइनमैंट में मदद के लिए है।

(vi) यात्रा व्ययों के विदेशी टूर पर व्यय शामिल ₹32,000 हैं जो RBI मानदण्डों के अनुरूप हैं।

(vii) आश्रित भाई व वयस्क आश्रित पुत्र के चिकित्सा बीमा प्रीमियम की राशि क्रमशः ₹ 5,000 व ₹10,000 है।

(viii) राष्ट्रीय बचत प्रमाप पत्र में निवेशक ₹ 10,000 पूर्वी की कुल आय व A.Y. 2020-21 के देय कर की गणना करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर (Answer)

पूर्वी की कुल आय व देय कर की गणना (A.Y. 2020-21)

विवरण	₹	₹
मकान सम्पत्ति की आय **(देखें W.N.1)**		57,820
व्यवसाय व पेशे के लाभ **(देखें W. N. 2)**		9,20,200
अन्य स्रोतों से आय **(देखें W.N.3)**		15,800
सकल कुल आय		**9,93,820**
घटाएं : अध्याय VI A की कटौतियाँ **(देखें W.N.4)**		10,000
कुल आय		**9,83,820**
कुल आय पर कर		
₹ 2,50,000 तक	शून्य	
₹ 2,50,000 – ₹ 5,00,000 @ 5%	12,500	
₹ 5,00,000 – ₹ 9,83,820 @ 20%	96,764	1,09,264
जोड़ो : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @ 4%		4,371
कुल कर दायित्व		**1,13,635**
देय कर		**1,13,640**

क्रियात्मक टिप्पणियाँ :

(1) **मकान सम्पत्ति से आय**

विवरण	₹	₹
धारा 23 (1) में सकल वार्षिक मूल्य	85,600	
घटाएँ : नगरपालिका कर	3,000	
शुद्ध वार्षिक मूल्य	82,600	
घटाएं : धारा 24 में कटौती @ 30%	24,780	57,820

नोट : म्युनिसिपल मूल्य, उचित किराया और मानक किराए से सम्बन्धित अन्य जानकारी के अभाव में प्राप्त किराए को सकल वार्षिक मूल्य के रूप में लिया गया है।

2. **व्यवसाय व पेशों के लाभों से आय**

विवरण	₹	₹
आय–व्यय खाते का शुद्ध लाभ		9,28,224
जोड़ो : डेबिट व्यय जो स्वीकृत नहीं		

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) कम्प्यूटर विशेषज्ञ को नकद वेतन धारा 40A (3) में अस्वीकृत क्योंकि ऐसा नकद भुगतान ₹ 10,000 से अधिक है।	30,000	
(ii) कार की क्रय के लिए भुगतान की गई राशि धारा 37(1) में अस्वीकृत क्योंकि यह पूँजीगत व्यय है।	80,000	
(iii) म्युनिसिपल कर किराए के मकान के सम्बन्ध में	3,000	1,13,000
		10,41,224
जोड़ें : पेशे के कोर्स के दौरान ग्राहकों द्वारा प्राप्त लाभ [धारा 28(iv) के तहत व्यवसाय आय के रूप में कर योग्य]		10,500
घटाएं : आय क्रेडिट परन्तु इस धारा के तहत करयोग्य नहीं		
(i) भारतीय कम्पनियों से लाभांश	10,524	10,51,724
(ii) UTI से आय	7,600	
(iii) उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का पारिश्रमिक	15,800	
(iv) रिहायशी फ्लैट से प्राप्त किराया	85,600	1,19,524
		9,32,200
घटाओ : मोटरकार का ह्रास @15% [**देखें नोट 1**]		12,000
		9,20,200

नोट्स :

(i) यह माना गया है कि मोटर कार पिछले वर्ष के दौरान 180 से अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया था और इसलिए धारा 32(1)(ii) के तहत पूर्ण मूल्य ह्रास @15% प्रदान किया गया है।

नोट : विकल्पित प्रश्न यह मानकर हल किया जा सकता है कि मोटर कार को 180 दिन से कम समय के लिए उपयोग में लिया गया है और तदानुसार नीचे धारा 32(1)(ii) के दूसरे अनंतिम के अनुसार केवल 50% मूल्य ह्रास स्वीकार्य होगा।

(ii) अपने पहले प्रयास में IPCC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्टीकल सहायकों के लिए प्रोत्साहन धारा 31(1) के तहत कटौती योग्य है।

(iii) 1.04.2020 से 30.09.2020 तक की अग्रिम मरम्मत व रखरखाव पर व्यय 6 महीने का ₹ 1,000 स्वीकार्य है, क्योंकि पूर्वी रोकड़ पद्धति से खाते रखती है।

(iv) विदेशी टूर का ₹ 32,000 व्यय स्वीकार्य है क्योंकि पेशे के कार्य से सम्बन्धित है। Since it has already been debited to income and expenditure account, nofurther adjustment is required.

(3) **अन्य स्रोतों से आय**

विवरण	₹	₹
भारतीय कम्पनियों से लाभांश	10,524	
घटाओ : धारा 10(34) में कर मुक्त	10,524	शून्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

UTI से आय	7,600	शून्य
घटाओ : उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक	7,600	15,800
		15,800

(4) **अध्याय VI-A में कटौतियाँ**

विवरण	₹
80C में कटौती (NSC में निवेश)	10,000
80D में कटौती **[देखें नोट (i) व (ii)]**	शून्य
अध्याय VI-A में कटौती	10,000

नोट :

(i) भाई के स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80D तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है, भले ही वह एक आश्रित है, क्योंकि धारा 80D के तहत "परिवार" की परिभाषा में शामिल नहीं है।

(ii) वयस्क पुत्र के स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कटौती के योग्य नहीं है, हालांकि वह एक आश्रित है चूंकि भुगतान नकद में किया जाता है।

प्रश्न (Question) **4**

Y अपना व्यवसाय चलाते हैं। उनके ट्रेडिंग, लाभ–हानि खाते में निम्न सूचना उपलब्ध हुई वर्ष की समाप्ति 31-03-2020 के लिए :

(1) शुद्ध लाभ ₹ 11,20,000

(2) लाभ–हानि खाते में निम्न आय क्रेडिट की गई है :

(a) UTI से लाभांश ₹ 22,000

(b) ऋणपत्रों पर ब्याज ₹ 17,500

(c) दौड़ों से आय ₹ 15,000

(3) यह पता चला कि प्रारम्भिक व अन्तिम दोनों ही स्कन्ध शामिल करने से छूट गए थे जिनका मूल्य निम्न था :

प्रारम्भिक स्टॉक – ₹ 8,000 .

अंतिम स्टॉक – ₹ 12,000.

(4) ₹ 1,00,000 की राशि लाभ खाते में धारा 35(1)(ii) में अनुमोदित विश्वविद्यालय के नाम डेबिट थी।

(5) अपने भाई को ₹ 20,000 के वेतन में ₹ 2,500 अनुचित पाए गए।

(6) विज्ञापन व्यय में ग्राहकों को भेंट पैकेट ₹ 1,000 प्रति पैकिट 15 पैकिट थे।

(7) कार पर कुल व्यय ₹ 78,000 कार व्यावसायिक व्यक्तिगत कार्य के लिए 3/4 अनुपात में प्रयुक्त हुई।

(8) मिश्रित व्ययों में ₹ 30,000 A & Co. जो वितरक हैं, को 31.1.2020 को कम्पनी के उत्पाद को गोदाम में भेजने के लिए नकद भुगतान किए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(9) लेखों में ह्रास ₹55,000 डेबिट है। आयकर नियम 1962 के अनुसार ह्रास ₹50,000 स्वीकार है।

(10) आहरण ₹10,000

(11) NSC में निवेश ₹15,000

Y की A.Y. 2020-21 की कुल आय निकालिए।

उत्तर (Answer)

Y की 2020-21 A.Y. की कुल आय की गणना

विवरण	₹
व्यवसाय व पेशे से आय **[देखें W.N. 1]**	10,71,500
अन्य स्रोतों से आय **[देखें W.N. 2]**	32,500
सकल कुल आय	**11,04,000**
घटाएं : 80C की कटौती	15,000
कुल आय	**10,89,000**

क्रियात्मक टिप्पणी :

1. व्यवसाय व पेशे के लाभों से आय की गणना

विवरण	₹	₹
लाभ–हानि खाते में लाभ शेष		11,20,000
जोड़ो : लाभ–हानि खाते में डेबिट व्यय अस्वीकार्य		
भाई को वेतन का भुगतान की अनुचित मात्रा [40A(2)]	2,500	
व्यक्तिगत प्रयोग के अस्वीकार कार व्यय $\left(₹78,000 \times \frac{1}{4}\right)$	19,500	
लेखा–पुस्तकों में डेबिट ह्रास	55,000	
आहरण अस्वीकार्य क्योंकि व्यक्तिगत प्रकृति का है **[देखें नोट (iii)]**	10,000	
NSC में निवेश **[देखें नोट (iii)]**	15,000	1,02,000
		12,22,000
जोड़ो : अन्तिम स्टॉक कम दिखाया जाना		12,000
		12,34,000
घटाओ : प्रारम्भिक स्टॉक को कम दिखाना		8,000
		12,26,000
घटाओ : धारा 35(1)(ii) के तहत स्वीकृत और अधिसूचित विश्वविद्यालय को योगदान के लिए भारित कटौती @15% के योग्य है। चूंकि लाभ और हानि खाते में केवल वास्तविक योगदान (100%) डेबिट हुआ है, अतिरिक्त 50% की कटौती की जानी है।		50,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

		11,76,000
घटाओ : लाभ और हानि खाते में क्रेडिट की गई आय परन्तु व्यावसायिक आय के रूप में करयोग्य नहीं है। UTI से आय [धारा 10(35) के तहत करमुक्त]	22,000	
ऋणपत्रों पर ब्याज (अन्य स्रोतों से आय में कर योग्य)	17,500	
दौड़ से आय (अन्य स्रोतों से आय में कर योग्य)	15,000	54,500
		11,21,500
घटाओ : आयकर नियम, 1962 में स्वीकार्य ह्रास		50,000
		10,71,500

नोट्स :

(i) राजस्व प्रकृति के विज्ञापन व्यय जैसे, महत्वपूर्ण ग्राहकों को सेवा का उपहार, पूरी तरह और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिये व्यय किया जाता है। इसलिये यह धारा 37 के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

(ii) माल परिवहन परिचालक, A एण्ड कं. के लिये ₹ 10,000 से अधिक के नकद भुगतान के सम्बन्ध में धारा 40A(3) के तहत प्रतिबन्ध को आकर्षित नहीं किया जाता है चूँकि माल को चलाने, किराये पर देने या पट्टे के लिये किये गये भुगतान के मामले में ₹ 35,000 की वृद्धि सीमा लागू है।

(iii) चूँकि NSC में आहरण और निवेश का लाभ–हानि खाते में प्रभाव डाला है; व्यवसाय में लाने के लिये इसे वापस जोड़ना होगा।

2. **अन्य स्रोतों से आय की गणना**

विवरण	₹
ऋणपत्रों पर ब्याज	17,500
दौड़ से आय	15,000
	32,500

नोट्स :

निम्न मान्यताओं को माना गया है :

1. ऋणपत्रों पर ब्याज व दौड से आय की राशियाँ सकल मानी गई हैं (अर्थात् प्राप्त राशि + TDS)।

2. प्रश्न के 9वें बिन्दु में आयकर नियम, 1962 के अनुरूप ₹ 50,000 का ह्रास दिया गया है। यह माना गया है कि इसका 75% प्रयोग के अनुपात में ही कर के सम्बन्ध में शामिल किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न (Question) 5

31.03.2020 को समाप्त वर्ष की बालामुरुगन की सूचनाएँ निम्न हैं :

विवरण	*₹*
व्यवसाय से आय	*(1,35,000)*
मकान सम्पत्ति से आय	*(15,000)*
लॉटरी आय (सकल)	*5,00,000*
सट्टा व्यवसाय से आय	*1,00,000*
वेतन से आय	*60,000*
दीर्घकालीन पूँजी लाभ u/s 112	*70,000*

उसकी कुल आय, कर दायित्व व अग्रिम कर दायित्व बताइए।

उत्तर (Answer)

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बालामुरुगन की कुल आय

विवरण	₹	₹
वेतन	60,000	
घटाएं : मकान सम्पत्ति से हानि	(15,000)	
शुद्ध वेतन (मकान सम्पत्ति से हानि को सेट ऑफ करने के बाद)		45,000
व्यवसाय व पेशे के लाभ		
सट्टा व्यवसाय से आय	1,00,000	
घटाएं : व्यवसाय हानि–पूर्ति	(1,35,000)	
शुद्ध व्यवसाय हानि जिसे पूँजी लाभों से पूरा करना है	(35,000)	
पूँजी लाभ		
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	70,000	
घटाएं : व्यवसाय हानि–पूर्ति	(35,000)	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ (पूर्ति के बाद)		35,000
अन्य स्रोतों से आय		
लॉटरी आय (सकल)		5,00,000
कुल आय		**5,80,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर दायित्व की गणना

विवरण	₹
₹ 80,000 पर (लॉटरी आय को छोड़कर)	शून्य
₹ 5,00,000 की लॉटरी आय पर 30%	1,50,000
जोड़ो : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @4%	6,000
कुल कर दायित्व	**1,56,000**

करदाता की कुल आय छूट सीमा से कम है अतः अग्रिम कर दायित्व नहीं बनता। लॉटरी आय की दशा में 194B में 30% TDS होगा। क्योंकि शेष दायित्व (₹ 1,56,000 – ₹ 1,50,000) = ₹ 6,000 ₹10,000 से कम है अतः अग्रिम कर के प्रावधान लागू नहीं हैं।

नोट्स :

1. आधारभूत छूट सीमा ₹ 2,50,000 पहले ₹ 45,000 के वेतन से पूरा करना होगा। ₹ 2,05,000 की मूल छूट की सीमा को धारा 112 के रूप में ₹ 35,000 के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से समायोजित किया जा सकता है, लेकिन लॉटरी जीने से नहीं जो धारा 115BB के तहत 30% की फ्लैट रेट से कर योग्य है।
2. धारा 234C(1) के लिए पहला अनंतिम प्रावधान है कि चूंकि निर्धारिती के लिए यह संभव नहीं है कि वह लॉटरी से अपनी आय का अनुमान लगा सके, ऐसी आय पर देय कर की पूरी राशि (TDS के प्रतिफल के बाद) अग्रिम कर की शेष किस्तों में देय होनी चाहिए। जहां इस तरह की कोई किस्त देय नहीं है, पूरे कर का भुगतान 31 मार्च, 2020 तक किया जाना चाहिए। धारा 234(1) के लिए पहला प्रावधान धारा 194B के तहत स्रोत पर कर कटौती के मामले में ही आकर्षित किया जायेगा। इस मामले में यह माना गया है कि लॉटरी आय से स्रोत पर कर की कटौती की गई है।

प्रश्न (Question) **6**

50 वर्ष के राजीव जो एक निवासी व्यक्ति हैं तथा चार्टर्ड एकाउण्टैंट की प्रैक्टिस करते हैं, वित्त वर्ष 2019-20 का प्राप्ति व भुगतान खाता प्रस्तुत करते हैं :

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

प्राप्तियाँ	*₹*	*भुगतान*	*₹*
प्रारम्भिक शेष 1.04.2019 को रोकड़ व बैंक शेष	*12,000*	*स्टाफ वेतन, बोनस, स्टाइपेन्ड*	*21,50,000*
पेशेवर सेवाओं से फीस	*59,38,000*	*अन्य प्रशासनिक व्यय*	*11,48,000*
किराया	*50,000*	*कार्यालय किराया*	*30,000*
केनरा बैंक से कार लोन 9% प्रति वर्ष	*2,50,000*	*SBI को ऋण भुगतान (ब्याज ₹88,000)*	*1,88,000*
		जीवन बीमा प्रीमियम	*24,000*
		मोटर कार (चेक से 1 जनवरी, 2020) को क्रय की	*4,25,000*

© The Institute of Chartered Accountants of India

		चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं व पत्नी)	*18,000*
		पुस्तक क्रय 01.07.2019 को (चेक से वार्षिक प्रकाशन)	*20,000*
		1.11.2019 को कम्प्यूटर खरीदा पेशे के प्रयोग हेतु)	*30,000*
		घरेलू आहरण	*2,72,000*
		PPF में जमा	*20,000*
		मोटरकार रखरखाव	*10,000*
		अन्तिम शेष (31.03.2020) (रोकड़ व बैंक)	*19,15,000*
	62,50,000		***62,50,000***

अतिरिक्त सूचना :

(1) स्वयं के रिहायशी मकान का 50% स्वयं तथा शेष 50% किराए पर ₹ 5,000 महीना देते हैं। मकान 1997-98 में ऋण लेकर बनाया था।

(2) मोटरकार का प्रयोग कार्यालय व व्यक्तिगत प्रयोग दोनों के लिए है। 1/5 प्रयोग व्यक्तिगत है तथा वर्ष में कोई कार ऋण पर ब्याज नहीं चुकाया गया।

(3) सम्पत्तियों की W.D.V. 1.04.2019 को निम्न प्रकार थी :

फर्नीचर व फिटिंग्स	*₹ 60,000*
प्लाण्ट व मशीनरी	*₹ 80,000*
(एयरकंडीशनर व फोटोकॉपीयर्स)	
कम्प्यूटर्स	*₹ 50,000*

***नोट** : राजीव नियमित रूप से रोकड़ पद्धति का प्रयोग करते हैं।*

राजीव की A.Y. 2020-21 की कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 को राजीव की कुल आय

विवरण	₹	₹	₹
मकान सम्पत्ति से आय			
स्वयं रिहायश के लिए			
वार्षिक मूल्य	शून्य		
घटाएं : धारा 24(b) अन्तर्गत मकान ऋण पर ब्याज 50% ₹ 88,000 = 44,000 लेकिन सीमित	30,000		
मकान सम्पत्ति से हानि		(30,000)	

© The Institute of Chartered Accountants of India

किराये पर मकान सम्पत्ति			
वार्षिक मूल्य (अन्य सूचना के अभाव में किराया)	60,000		
घटाएं : धारा 24 अन्तर्गत 30% of A.V. 18,000			
मकान ऋण पर ब्याज (50% of ₹ 88,000) 44,000	62,000	(2,000)	
मकान सम्पत्ति से हानि			(32,000)
व्यवसाय व पेशे से आय			
पेशेवर सेवाओं की फीस		59,38,000	
कटौती स्वीकृत व्यय :			
स्टाफ वेतन, बोनस व वजीफा	21,50,000		
अन्य प्रशासन व्यय	11,48,000		
कार्यालय किराया	30,000		
मोटरकार रखरखाव (10,000 × 4/5)	8,000		
कार ऋण पर ब्याज स्वीकार्य नहीं क्योंकि भुगतान नहीं और करदाता रोकड़ पद्धति से खाते रखता है।	शून्य	33,36,000	
		26,02,000	
घटाएं : ह्रास			
मोटरकार (4,25,000 × 7.5% × 4/5)	25,500		
पुस्तक (वार्षिक प्रकाशन @ 40%)	8,000		
फर्नीचर व फिटिंग्स ₹ 60,000 का 10%	6,000		
प्लाण्ट मशीनरी ₹ 80,000 @ 15%	12,000		
कम्प्यूटर ₹ 50,000 @ 40%	20,000		
कम्प्यूटर ₹ 30,000 @ 40% × 50%	6,000	77,500	25,24,500
सकल कुल आय			**24,92,500**
घटाएं : अध्याय VI A की कटौती			
80C की कटौती			
मकान ऋण मूल भुगतान	1,00,000		
PPF जमा	20,000		
जीवन बीमा प्रीमियम	24,000	1,44,000	
80D अन्तर्गत कटौती			
चिकित्सा बीमा प्रीमियम		18,000	1,62,000
कुल आय			**23,30,500**

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न (Question) **7**

निम्नलिखित सूचना से दिल्ली के सिद्धान्त की A.Y. 2020-21 की कुल आय व देय कर की गणना कीजिए।

विवरण	*₹*
मंहगाई भत्ते सहित वेतन	*3,35,000*
बोनस	*11,000*
नियोक्ता द्वारा प्रदत्त नौकर का वेतन	*12,000*
सिद्धान्त ने मकान किराया दिया	*49,600*
नियोक्ता द्वारा गैस, बिजली व पानी के बिलों का भुगतान	*11,000*

दिल्ली में कोपरेटिव सोसाइटी से एक फ्लैट क्रय किया अप्रैल, 2013 में ₹ 4,75,000 का जो LIC से ₹ 1,60,000 के ऋण 15% ब्याज पर, स्वयं की बचत ₹ 65,000 तथा ₹ 2,50,000 की जमा एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जिसे 10 वर्ष के लीज पर मकान दिया था। बैंक से किराया ₹ 3,500 प्रति माह। सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

(a) म्यूनिसीपल कर ₹ 4,300 प्रति वर्ष

(b) मकान बीमा ₹ 860

(c) अंशों के सट्टा व्यवसाय में अर्जित ₹ 2,700 तथा कॉटन व्यवसाय में हानि ₹ 4,200

(d) 2014-15 में पत्नी को ₹ 30,000 पुत्र जिसकी उम्र 11 साल है। ₹ 20,000 का उपहार दिया। उपहार राशि राजेश को उधार दी जिससे 19% ब्याज मिला।

(e) मित्रों से उपहार ₹ 25,000 प्रति मित्र

(f) ₹ 5,000 PPF में अंशदान

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 में कुल आय व देय कर की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन आय		
मंहगाई भत्ता सहित वेतन		3,35,000
बोनस		11,000
सुविधाओं का मूल्य		
(i) नौकर का वेतन	12,000	
(ii) मुफ्त गैस, बिजली, पानी	11,000	23,000
		3,69,000
घटाएं : मानक कटौती धारा 16(ia)		50,000
		3,19,000
मकान सम्पत्ति से आय		
सकल वार्षिक मूल्य (₹ 3,500 × 12)	42,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

घटाएं : म्यूनिसीपल कर	4,300	
शुद्ध वार्षिक मूल्य	37,700	
घटाएं : धारा 24 में कटौती		
(i) NAV का 30% ₹ 11,310		
(ii) LIC ऋण पर ब्याज @15% × 1,60,000 **[देखें नोट 2]** ₹ 24,000	35,310	2,390
सट्टा व्यवसाय से आय		
अंश सट्टा व्यवसाय से आय	2,700	
घटाएं : कॉटन व्यवसाय में हानि	(4,200)	
शुद्ध हानि	1,500	
सट्टा व्यवसाय की हानि को आगे ले जाना होगा क्योंकि सट्टे व्यवसाय की हानि को किसी अन्य स्रोत या शीर्षक की आय से पूरा नहीं कर सकते		
अन्य स्रोतों से आय		
(i) अवयस्क पुत्र को उपहार पर ब्याज से आय को सिद्धान्त की आय में धारा 64(1) अनुसार शामिल करना होगा	3,800	
घटाएं : 10 (32) अन्तर्गत कर मुक्त	1,500	
	2,300	
(ii) पत्नी को उपहार में से प्राप्त आय को मिलाना (64) (1)	5,700	
(iii) 4 मित्रों से प्राप्त उपहार 56 (2) (×) में कर योग्य क्योंकि उपहार राशि ₹ 50,000 से अधिक	1,00,000	1,08,000
सकल कुल आय		4,29,390
(–) 80 C अन्तर्गत कटौती		
PPF में अंशदान		50,000
कुल आय		3,79,390

विवरण	₹
कुल आय पर कर	6,470
घटाएं : चूंकि कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है, छूट u/s 87A	6,470
कर दायित्व	Nil

नोट्स :

(1) यह माना कि है 31.03.2020 को सम्पूर्ण ऋण ₹ 1,60,000 शेष है।

(2) जब से सहकारी आवास सोसायटी में सिद्धांत का अपना फ्लैट है, जिसे उसने एक राष्ट्रीयकृत बैंक को किराये पर दिया है, वह भी दिल्ली में है, वह दिल्ली में अपने आवास के लिये उसके द्वारा भुगतान किये गये किराये के सम्बन्ध में धारा 80GG के तहत

© The Institute of Chartered Accountants of India

कटौती के लिये पात्र नहीं है, चूँकि धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिये सन्तुष्ट होने वाली शर्तों में है कि कर निर्धारिती का उसी स्थान पर कोई निवास स्थान नहीं देना चाहिये।

प्रश्न (Question) **8**

रामदीन जो एक सेल्स मैनेजर हैं, फ्रोजन फूड लिमिटेड में, 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न सूचना देते हैं :

—	*मूल वेतन*	*₹15,000 प्रति माह*
—	*मँहगाई भत्ता (रिटाइरमेंट लाभों हेतु 50% जोड़ने योग्य)*	*₹12,000 प्रति माह*
—	*कम्पनी की बिक्री पर कमीशन*	*0.5%*
—	*कम्पनी की बिक्री*	*₹50 लाख*
—	*बोनस*	*₹50,000*
—	*ग्रेच्युइटी*	*₹30,000*
—	*RPF में अपना अंशदान*	*₹30,000*
—	*RPF में कर्मचारियों का अंशदान*	*मूल वेतन का 20%*
—	*ब्याज RPF खाते में जमा @ 15%*	*₹15,000*

— *नियोक्ता ने सोने की अंगूठी ₹10,000 की उपहार में दी उसकी पच्चीसवीं सालगिरह पर*

— *1.04.2019 को कम्पनी ने म्यूजिक सिस्टम व्यक्तिगत प्रयोग हेतु ₹85,000 का दिया।*

— *दो भारी वाहन ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ₹6,500 प्रति माह लीज पर दिए खाते नहीं रखे जाते।*

— *बैंक FDR पर ब्याज ₹5,860 भारतीय कम्पनी से लाभांश ₹1,260 तथा ऋणपत्रों पर ब्याज ₹6,786 (Net) ।*

— *जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम के लिए ₹15,370 तथा स्वयं और पति/पत्नी के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी के लिए ₹22,500 को चेक द्वारा भुगतान किया गया।*

— *NSC में निवेश ₹30,000 SBI की FDR ₹50,000 ।*

— धारा *80G के तहत अनुमोदित संस्था के लिए ₹11,000 और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए ₹5,100 का दान वर्ष के दौरान चेक के माध्यम से दिया जायेगा।*

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 के लिए कुल आय तथा कर देयता की गणना करें

विवरण	₹	₹
वेतन से आय		1,80,000
मूल वेतन (₹ 15,000 × 12)		
D.A. (₹ 12,000 × 12)		1,44,000
बिक्री पर कमीशन		25,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

बोनस		50,000
ग्रेच्युइटी **(नोट 1)**		30,000
RPF में नियोक्ता का अंशदान (20% × ₹ 1,80,000)	36,000	
घटाएं : कर मुक्त (नोट-2)	33,240	2,760
RPF खाते में जमा ब्याज @ 15% p.a.	15,000	
घटाओ : कर मुक्त 9.5% तक	9,500	5,500
₹ 10,000 की सोने की अंगूठी का उपहार [नोट-3]		10,000
नियोक्ता द्वारा 25 वीं शादी की सालगिराह पर निजी उपयोग के लिए म्यूजिक सिस्टम का मूल्य (वास्तविक मूल्य ₹ 85,000 है का 10%)		8,500
		4,55,760
घटाएं : मानक कटौती धारा 16(ia)		50,000
		4,05,760
व्यवसाय या पेशे के लाभ		
₹ 6,500 प्रतिमाह के फिक्स चार्ज के लिये अनुबन्ध के आधार पर 2 हल्के माल वाहनों का पट्टा, इस मामले में, धारा 44AE के अनुमानित कर प्रावधान लागू होंगे जो कि दो हल्के माल वाहनों में से प्रत्येक के लिये ₹ 7,500 प्रतिमाह (₹ 7,500 × 2 × 12)। वह कम आय और लाभ का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसने लेखा पुस्तकें पोषित नहीं की हैं।		1,80,000
अन्य स्रोतों से आय		
बैंक FDRs से ब्याज	5,860	
ऋण पत्रों से ब्याज (₹ 6,786 × 100/90)	7,540	
अंशों पर लाभांश [करमुक्त धारा 10(34)]	शून्य	13,400
सकल कुल आय		**5,99,160**
अध्याय VIA की कटौती		
80C अन्तर्गत		
जीवन बीमा प्रीमियम	15,370	
NSC में निवेश	30,000	
SBI की 5 वर्षीय FDR	50,000	
कर्मचारी का RPF में अंशदान	30,000	1,25,370
धारा 80D मेडीक्लेम बीमा		22,500
धारा 80G (नोट 4)		10,600

© The Institute of Chartered Accountants of India

कुल आय		**4,40,690**
आय पर कर		9,535
जोड़ें : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @4%		9,535
कुल देय कर		Nil
घटाएं : टीडीएस (₹ 7,540 – ₹ 6,786)		754
कुल प्रतिदेय कर		**754**
प्रतिदेय कर (सन्निकटि)		**750**

नोट्स :

1. सेवा के दौरान ग्रेच्युइटी पूर्णतया कर योग्य है।
2. अनुमोदित प्रॉविडेंट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% तक कर मुक्त है अर्थात् मूल वेतन + DA + कमीशन = [₹ 1,80,000 + (50% of ₹ 1,44,000) + ₹ 25,000] = 12% of 2,77,000 = ₹ 33,240
3. परिपत्र सं. 15/2001 दिनांक 12.12.2001 के अनुसार ₹ 5,000 से अधिक की राशि कर योग्य होगी। इस विकल्प के अनुसार सुविधा का मूल्य ₹ 5,000 होगा तथा वेतन से आय ₹ 4,10,760 होगी।
4. 80G अन्तर्गत कटौती की गणना निम्न प्रकार होगी :

विवरण	₹
PMNRF (100% कटौती)	5,100
अनुमोदित संस्था को दान ₹ 11,000 का 50% या समायोजित सकल कुल अन्य का 10% जो कम हो	5,500
कुल कटौती	10,600

समायोजित सकल कुल अन्य = सकल कुल आय – 80C व 80D की कटौती = ₹ 5,99,160 – ₹ 1,47,870 = ₹ 4,51,290

प्रश्न (Question) **9**

श्री X द्वारा 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रस्तुत विवरणों से, आपसे अनुरोध है कि आप कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिये उनकी कुल आय और देय कर की गणना करें।

(a) श्री X एक निजी कम्पनी से मुम्बई में 25 वर्ष और 9 महीने की नौकरी करने के बाद 58 वर्ष की उम्र में 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुए।

(b) उसे प्रति माह ₹ 25,000 वेतन तथा ₹ 6,000 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता दिया जाता था। उन्होंने अपनी नौकरी के कार्यकाल के दौरान प्रतिमाह ₹ 6,500 का किराया दिया।

(c) सेवानिवृत्ति पर, उन्हें ₹ 3,50,000 की ग्रेच्युइटी का भुगतान किया गया था। वह ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम द्वारा कवर किया गया था। श्री X को इस ग्रेच्युइटी के अलावा, किसी भी समय पहले कोई ग्रेच्युइटी नहीं मिली थी।

(d) उन्होंने अपनी नौकरी की अवधि के दौरान 15 दिनों का प्रतिवर्ष अवकाश पूँजित किया था; यह उनकी सेवानिवृत्ति के समय पर ही श्री X द्वारा नकद बनाया गया था। इस सम्बन्ध में

© The Institute of Chartered Accountants of India

उनके द्वारा ₹ 3,15,000 की राशि की प्राप्ति की गयी थी। उनके औसत वेतन को ₹ 24,500 लिया जा सकता है। नियोक्ता से प्रति वर्ष 30 दिनों की छुट्टी की अनुमति है।

(e) सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने कपड़ा व्यवसाय में कदम रखा और 31.03.2020 तक की अवधि के लिये ₹ 80,000 का नुकसान उठाया

(f) श्री X ने सार्वजनिक भविष्य निधि में ₹ 1,00,000 जमा किये हैं।

उत्तर (Answer)

A.Y. (2020-21) के लिए X की कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन से आय		
मूल वेतन (₹ 25,000 × 9) महीने		2,25,000
HRA		
वास्तविक प्राप्त राशि (₹ 6000 × 9)	54,000	
घटाओ : 10(13A) में छूट **[नोट-1]**	36,000	18,000
ग्रेच्युइटी		
प्राप्त राशि	3,50,000	
घटाएं : धारा 10(10) (iii) में छूट **[नोट2]**	3,50,000	—
अवकाश नकदीकरण प्राप्त राशि	3,15,000	
घटाएं : 10 (10AA) में छूट **[नोट 3]**	2,45,000	70,000
सकल वेतन		3,13,000
घटाएं : मानक कटौती धारा 16(ia)		50,000
		2,63,000
व्यवसाय या पेशे के लाभ		
₹ 80,000 की व्यवसाय हानि वेतन आय से पूरी नहीं हो सकती अतः आगे ले जानी होगी		शून्य
सकल कुल आय		**2,63,000**
(–) 80C में छूट		
PPF में निवेश		1,00,000
कुल आय		**1,63,000**
कुल आय पर कर		शून्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट :

			₹
1.	धारा 10(13A) में HRAकी छूट जो कम हो।		
	(i)	प्राप्त HRA (₹ 6,000 × 9)	54,000
	(ii)	10% वेतन से अधिक किराया (₹ 6,500 – ₹ 2,500) × 9 महीने	36,000
	(iii)	वेतन का 50%	1,12,500
2.	धारा 10 (10) (iii) में ग्रेच्युइटी ₹ 3,35,000 कर मुक्त है जो निम्न में सबसे कम		
	(i)	वास्तविक प्राप्त राशि	3,50,000
	(ii)	पूर्ण सेवा काल के आधे महीने का वेतन [(₹ 25,000 × 15/26) 26 साल]	3,75,000
	(iii)	वैधानिक सीमा	20,00,000
3.	अवकाश नकदीकरण निम्न में से न्यूनतम कर मुक्त है		
	(i)	वास्तविक प्राप्त राशि	3,15,000
	(ii)	10 महीने का औसत वेतन (₹ 24,500 × 10)	2,45,000
	(iii)	वास्तविक सेवा काल के प्रति वर्ष अधिकतम 30 दिन के आधार पर अप्रयुक्त अवकाश के समय राशि **[देखें नोट 4]**	3,06,250
	(iv)	वैधानिक सीमा	3,00,000

4. चूंकि अपने नियोक्ता के नियमों के अनुसार श्री X की छुट्टी की पात्रता प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 30 दिन है और उन्होंने अपनी सेवा की अवधि के दौरान 15दिन संचित किए, उन्होंने हर साल 15 दिनों की छुट्टी का लाभ उठाया/लिया है :

नियोक्ता द्वारा उसके लिए प्रदान की गई वास्तविक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिनों के आधार पर 30 दिनों की छुट्टी की पात्रता	= 30 दिन/साल × 25 वर्ष = 750 दिन
घटाएं : श्री X के द्वारा उनकी सेवा के दौरान ली गई/उठाई गई छुट्टी अपनी सेवानिवृत्ति के समय श्री X के लिए जोडी छुट्टी	= 15 दिन/साल × 25 वर्ष = 375 दिन
अपनी सेवानिवृत्ति के समय श्री X के लिए जोड़ी छुट्टी	= 375 दिन
अपनी सेवानिवृत्ति के समय श्री X के क्रेडिट के बराबर अर्जित नकद राशि	= 375 × ₹ 24,500/30 = ₹ 3,06,250

प्रश्न (Question) **10**

रोजी व मैरी बहिन हैं जो मुम्बई में जन्मी व पली बढ़ी हैं। रोजी की शादी 1982 में हुई जो 1982 से कनाड़ा में बसी हैं। मैरी की शादी मुम्बई हुई और वे वहीं बसी है। दोनों की उम्र 60 वर्ष से कम है। गतवर्ष की आय का ब्यौरा 31.3.2020 के लिए निम्न है :

क्र.सं.	*विवरण*	*रोजी ₹*	*मैरी ₹*
1.	*राज्य सरकार से प्राप्त पेंशन*	*—*	*60,000*
2.	*कनाड़ा सरकार से प्राप्त पेंशन*	*20,000*	*—*
3.	*मुम्बई में जमीन के विक्रय से पूँजी लाभ (LTCG)*	*1,00,000*	*1,00,000*

© The Institute of Chartered Accountants of India

4.	*STT भुगतान वाले भारतीय सूचीबद्ध अंशों के विक्रय से अल्पकालीन पूँजी लाभ*	*20,000*	*2,50,000*
5.	*LIC प्रीमियम भुगतान*	*—*	*10,000*
6.	*कनाडा में LIC प्रीमियम का भुगतान*	*40,000*	*—*
7.	*मैडीक्लेम प्रीमियम भुगतान*	*—*	*25,000*
8.	*PPF में निवेश*	*—*	*20,000*
9.	*मुम्बई में मकान से प्राप्त किराया*	*60,000*	*30,000*

रोजी व मैरी की A.Y. 2020-21 की कर योग्य आय व देय कर की गणना करो।

उत्तर (Answer)

रोजी व मैरी की A.Y. 2020-21 की कर योग्य आय की गणना

क्र. सं.	विवरण		रोजी ₹	मैरी ₹
(I)	**वेतन**			
	राज्य सरकार से प्राप्त पेंशन	₹ 60,000	—	—
	घटाएँ : मानक कटौती धारा 16(ia)	₹ 50,000		10,000
	कनाड़ा सरकार से प्राप्त पेंशन अनिवासी को कर योग्य नहीं क्योंकि भारत से बाहर उपार्जित व प्राप्त		—	—
				10,000
(II)	**मकान सम्पत्ति से आय**			
	मुम्बई में प्राप्त किराया		60,000	30,000
	अन्य सूचना के अभाव में मान्य वार्षिक मूल्य			
	घटाएँ : धारा 24 (a) के अन्तर्गत छूट @ 30%		18,000	9,000
			42,000	**21,000**
(III)	**पूँजी लाभ**			
	मुम्बई में जमीन की बिक्री से LTCG		1,00,000	1,00,000
	भारतीय कम्पनी में STT भुगतान			
	अंशों की बिक्री से STCG		20,000	2,50,000
			1,20,000	**3,50,000**
(A)	**सकल कुल आय** [I + II + III]		**1,62,000**	**3,81,000**
	घटाओ : अध्याय VI की कटौती			
1.	80C की कटौती			
	1. LIC प्रीमियम		—	10,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	2. कनाडा जीवन बीमा निगम को प्रीमियम	40,000	—
	3. PPF में निवेश	—	20,000
		40,000	**30,000**
2.	80D में छूट		
	यह मानकर कि प्रीमियम चेक से भुगतान हुआ है	—	25,000
		40,000	**55,000**
(B)	अध्याय VIA की छूट धारा 111A व 112 में कर योग्य		
	पूँजी लाभ से भिन्न आय तक सीमित	40,000	31,000
(C)	**कुल आय (A –B)**	**1,22,000**	**3,50,000**
	रोजी का A.Y. 2020-21 के लिए कर दायित्व		
	LTCG पर कर @ 20% ₹ 1,00,000 पर	20,000	
	STCG पर कर @ 15% ₹ 20,000 पर	3,000	
	शेष आय पर कर ₹ 2,000	शून्य	
		23,000	
	मैरी का A.Y. 2020-21 का कर दायित्व		
	लघु कालीन पूंजीगत लाभ पर ₹ 1,00,000 का 15% कर [जो कि, ₹ 2,50,000 से कम ₹ 1,50,000 धारा 111A के अनंतिम मूल छूट सीमा के अनुसार होने के लिए] [नीचे नोट 3 & 4 देखें]		15,000 12,500
	घटाएं : धारा 87A के तहत छूट ₹ 12,500 या कर देयता से कम होगी, क्योंकि कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है।		2,500
	जोड़ें : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @4%	920	100
	कुल देय कर	**23,920**	**2,600**

नोट्स :

1. धारा 112 अन्तर्गत LTCG @ 20% कर योग्य है।
2. STCG पर धारा 111A अन्तर्गत अंशों के हस्तांतरण पर जिस पर STT भुगतान किया गया हो @ 15% कर योग्य है।
3. निवासी व्यक्तियों की दशा में, यदि आधारभूत छूट सीमा अन्य आय से पूरी नहीं होती है तो LTCG/STCG को असमाप्त व छूट सीमा तक कम करके केवल शेष आय पर @ 20%/15% कर लगेगा। लेकिन यह लाभ अनिवासियों को उपलब्ध नहीं है। अतः मैरी

© The Institute of Chartered Accountants of India

अपनी असमाप्त छूट सीमा को पूरा LTCG व STCG से पूरा कर सकती है लेकिन रोजी नहीं।

4. क्योंकि LTCG @ 20% कर योग्य है जबकि STCG @ 15% कर योग्य है, अतः मैरी के लिए यह फायदेमंद होगा कि पहले ₹ 2,50,000 की छूट सीमा को ₹ 50,000 से पूरा करे तथा शेष [₹ 2,50,000 – ₹ 50,000] को STCG से पूरा करे।
5. धारा 87A के तहत छूट श्रीमती रोजी को उपलब्ध नहीं होगी, भले ही उसकी कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक न हो क्योंकि वह A.Y. 2020-21 के लिए अनिवासी है।

प्रश्न (Question) **10**

वाशिंग मशीन के उत्पादन के लिए X, एक व्यक्ति ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक इकाई स्थापित की। यह इकाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA की सभी शर्तों को पूरा करती है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, उन्होंने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए तमिलनाडु के एक जिले में एक भण्डारण सुविधा भी स्थापित की है। यह धारा 35AD की सभी शर्तों को पूरा करता है। गोदाम के सम्बन्ध में पूंजीगत व्यय ₹ 75 लाख (भूमि ₹ 10 लाख की लागत सहित) की राशि। 1 अप्रैल, 2019 से यह गोदाम प्रभावी हो गया है और ₹ 75 लाख का खर्च उस तारीख की किताबें में पूंजीगत किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है :

विवरण	₹
SEZ में स्थित इकाई का लाभ	40,00,000
उपर्युक्त इकाई की निर्यात बिक्री	80,00,000
उपर्युक्त इकाई की घरेलू बिक्री	20,00,000
गोदाम सुविधा के संचालन से लाभ (धारा 35AD के तहत कटौती पर विचार करने के पहले)	1,05,00,000

मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए श्री एक्स के द्वारा देय आयकर (धारा 115JC) के तहत एएमटी सहित) की गणना करें।

उत्तर (Solution)

A.Y. 2020-21 के लिए श्री एक्स की कुल आय और कर देयता की गणना (आयकर अधिनियम, 1961 के नियमित प्रावधानों के तहत)

विवरण	₹	₹
व्यवसाय या पेशे का लाभ और प्राप्ति		
SEZ में इकाई से लाभ	40,00,000	
घटाएं : धारा 10AA के तहत कटौती [नीचे नोट (1) देखें]	32,00,000	
एसईजेड इकाई की व्यापार आयकर के लिए आदेय		8,00,000
गोदाम सुविधा के संचालन से लाभ	1,05,00,000	
घटाएं : धारा 35AD के तहत कटौती [नीचे नोट 12 देखें]	65,00,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

गोदाम सुविधा की व्यावसायिक आय पर कर प्रभार्य		40,00,000
कुल आय		48,00,000
कर देयता की गणना (सामान्य/नियमित प्रावधानों के तहत)		
48,00,000 पर कर		12,52,500
जोड़ें : स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%		50,100
कुल कर दायित्व		13,02,600

वैकल्पिक न्यूनतम कर लगाने के लिए श्री एक्स की समायोजित कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
कुल आय (जैसकि ऊपर गणना की गई है)		48,00,000
जोड़ें : धारा 10AA के तहत कटौती		32,00,000
		80,00,000
जोड़ें : धारा 35AD के तहत कटौती	65,00,000	
घटाएं : धारा 32 के तहत ह्रास		
बिल्डिंग पर ₹ 65[1] लाख का 10%	6,50,000	58,50,000
समायोजित कुल आय		1,38,50,000
वैकल्पिक न्यूनतम कर @ 18.5%		25,62,250
जोड़ें : अधिभार @15% (चूंकि समायोजित कुल आय > ₹ 1 करोड़)		3,84,338
		29,46,588
जोड़ें : स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%		1,17,863
		30,64,451
धारा 115JC के तहत कर देयता		30,64,450

चूंकि नियमित आयकर देय वैकल्पिक कर देय से कम है, इसलिए समायोजित कुल आय को कुल आय माना जाएगा और कर @18.5% से लगाया जाएगा और इसके अतिरिक्त अधिभार @15% और उपकर @4% है। इसलिए, कर देयता ₹ 30,64,450 है।

एमटी क्रेडिट को धारा 115JEE के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

	₹
धारा 115JC के तहत कर देयता	30,64,450
घटाएं : आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर देयता	13,02,600
	17,61,850

[1] यह मानते हुए कि ₹ 65 लाख के पूंजीगत व्यय को पूर्ण रूप से इमारतों पर लगाया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट :

(1) SEZ में स्थित इकाई के सम्बन्ध में धारा 10AA के तहत कटौती

$$= \text{SEZ में इकाई से लाभ} \times \frac{\text{SEZ में इकाई का निर्यात बिक्री}}{\text{SEZ में इकाई से कुल बिक्री}}$$

$$₹\ 40{,}000 \times \frac{80,00,000}{1,00,00,000}$$

(2) 1.04.2019 को या उसके बाद परिचालन शुरू करने वाली कृषि उपज के भण्डारण के लिए गोदाम सुविधा की स्थापना और संचालन के निर्दिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में A.Y. 2020-21 के लिए धारा 35AD के तहत पूंजीगत व्यय का 100% @ कटौती उपलब्ध है।

इसके अलावा, इस तरह के निर्दिष्ट व्यवसाय के उद्देश्य के लिए व्यय,पूर्ण और विशेष रूप से, पिछले वर्ष के दौरान कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसमें वह अपने निर्दिष्ट व्यवसाय का संचालन शुरू करता है यदि व्यय इसके संचालन और शुरू होने से पहले खर्च किया जाता है और राशि संचालन के प्रारंभ होने की तारीख पर निर्धारिती के खाते की पुस्तकों में पूंजीकृत होती है।

धारा 35क के तहत कटौती, हालांकि भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय पर उपलब्ध नहीं होगी।

इस मामले में, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 65 लाख के पूंजीगत व्यय (अर्थात 75 लाख – 10 लाख, भूमि के अधिग्रहण पर व्यय) का व्यय किया गया है और दिनांक 1.04.2019 को खाते की किताबों में पूंजीकृत किया गया है। जब गोदाम चालू हो गया, तो ₹ 65,00,000 लाख का 100% होने के कारण धारा 35AD के तहत कटौती के लिए योग्य होगा।

आओ दोहराएँ
(LET US RECAPITLATE)

व्यक्तियों की कुल आय व कर देयता की गणना (Computation of Total Income and Tax liability of Individuals)

आयकर करदाता की कुल आय पर लगता है। कुल आय की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप होती है। करदाता की कुल आय की गणना में निम्न सोपान रखे गए हैं :

चरण 1—निवास स्थान का निर्धारण

- निवासी
  - — निवासी व साधारण निवासी
  - — निवासी लेकिन असाधारण निवासी
- अनिवासी

चरण 2—पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत आय का वर्गीकरण

- वेतन
- मकान सम्पत्ति से आय

© The Institute of Chartered Accountants of India

- व्यवसाय या पेशे के लाभ
- पूँजी लाभ
- अन्य स्रोतों से आय

चरण 3— प्रत्येक शीर्षक में आय की गणना

- प्रत्येक शीर्षक की आय – छूटें – कटौतियाँ

चरण 4— जीवन साथी, अवयस्क संतान, इत्यादि की आयों को मिलाना।

चरण 5—हानियों की पूर्ति व आगे ले जाना

- हानियों की अन्तः स्रोत पूर्ति
- हानियों की अन्तः शीर्षक पूर्ति
- हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाना

चरण 6—सकल कुल आय की गणना

सकल कुल आय =	प्रत्येक शीर्षक की आय को जोड़ना	⟶ आय मिलान के प्रावधानों को लागू करना	⟶ हानियों की पूर्ति व आगे ले जाने के प्रावधानों को प्रयोग करना

चरण 7—सकल कुल आय से कटौतियाँ

- व्यय के सम्बन्ध में कटौतियाँ
- आय के सम्बन्ध में कटौतियाँ
- अन्य आय के सम्बन्ध में कटौतियाँ
- अन्य कटौतियाँ

चरण 8—कुल आय की गणना

- सकल कुल आय — अध्याय VIA की कटौतियाँ
- 10 के गुणक में सन्निकटीकरण

चरण 9—व्यक्ति की दशा में कुल आय पर लागू दरें

कुल आय (₹)	कर की दर
₹ 2,50,000 तक (60 वर्ष से नीचे)	शून्य
₹ 3,00,000 तक (60 वर्ष या अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम तथा भारत में निवास)	शून्य
₹ 5,00,000 तक (80 वर्ष से अधिक भारत में निवासी)	
₹ 2,50,001/3,00,001 जो स्थिति हो, ₹ 5 लाख तक	5%
₹ 5,00,00 से ₹ 10,00,000 तक	20%
₹ 10,00,000 से अधिक	30%

© The Institute of Chartered Accountants of India

चरण 10—सरचार्ज व कर मुक्ति सरचार्ज

व्यक्ति / HUF/AOP/BOI/ कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति

Total Income	Surcharge
जहाँ कुल आय > ₹ 50 लाख लेकिन ≤ ₹ 1 करोड़ हो	आयकर का 10%
जहाँ कुल आय > ₹ 1 करोड़ हो ≤ ₹ 2 करोड़ हो	आयकर का 15%
जहाँ कुल आय > ₹ 2 करोड़ हो ≤ ₹ 5 करोड़ हो	आयकर का 25%
≤ ₹ 5 करोड़	आयकर का 37%

धारा 87A की कर छूट ₹ 5 लाख तक आय वाले निवासी व्यक्तियों के लिए ₹12,500 की कर छूट

स्टैप 11—आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर	आय कर का 4% तथा अधिभार, यदि लागू है।

कुल कर दायित्व	=	लागू दरों से कुल आय पर कर	+	अधिभार, लागू दरें, यदि कुल आय > ₹ 50 लाख	+ H & EC@4%
			–	छूट धारा 87A, यदि कुल आय ≤ ₹ 5 लाख	

चरण 12—AMT की प्रयोज्यता का परीक्षण करें

- यदि एक व्यक्ति धारा 10AA के तहत या धारा 35AD या धारा 80JJAA, 80QQB और 80RRB के तहत कटौती का दावा कर रहा है तथा उसकी कुल आय ₹ 20 लाख से अधिक है, AMT प्रावधान लागू होंगे।
- AMT गणना [समायोजित कुल आय का 18.5%]
- यदि AMT > नियमित प्रावधान के अनुसार कर की गणना है, तो समायोजित कुल आय को कुल आय माना जायेगा।
- कर @18.5% देय है।
- कर क्रेडिट को आगे बढ़ाना = AMT = नियमित प्रावधान के अनुसार कर की गणना

चरण 13—अग्रिम कर TDS व TCS हेतु क्रेडिट

शुद्ध कर दायित्व = कुल कर दायित्व – TDS – TCS – अग्रिम कर भुगतान।

चरण 14—देय / वापसी योग्य कर

- शुद्ध कर दायित्व को 10 के गुणक में सन्निकटीकरण
- रिटर्न फाइल करते समय करदाता को (स्वयं कर निर्धारित) को भुगतान करना।
- यदि रिफण्ड देय है तो रिटर्न फाइल करने के बाद वापसी योग्य होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्वयं ज्ञान की जाँच करें

(TEST YOUR KNOWLEDGE)

1. *आयकर अधिनियम, 1961 में आयकर की गणना होती है।*

   (a) पाँच शीर्षक

   (b) छः शीर्षक

   (c) 4 शीर्षक

   (d) सात शीर्षकों में

2. *A.Y. 2020-21 के लिए औसत कर दाता की मुक्त आय सीमा है जो 2.04.2020 को 60 वर्ष की हो :*

   (a) ₹2,00,000

   (b) ₹3,00,000

   (c) ₹2,50,000

   (d) ₹5,00,000

3. *2.5 करोड़ से अधिक कुल आय वाले करदाता पर सरचार्ज की दर।*

   (a) 15%

   (b) 25%

   (c) 10%

   (d) 37%

4. *A.Y. 2020-21 के लिए श्रीमति X एक निवासी व्यक्ति के लिए मूल्य छूट सीमा क्या है? जिनकी आयु 30.03.2020 पर 80 वर्ष है?*

   (a) ₹5,00,000

   (b) ₹2,40,000

   (c) ₹3,00,000

   (d) ₹2,50,000

5. *मैसर्स PQR के साझेदार P को लाभ का हिस्सा जो फर्म भारतीय निवासी है :*

   (a) कर मुक्त

   (b) व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य

   (c) वेतन के रूप में कर योग्य

   (d) अन्य स्रोत के रूप में कर योग्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. *A.Y.2020-21 के लिए श्री एक्स एक निवासी व्यक्ति के लिए मूल छूट सीमा क्या है? जिनकी आयु 1.4.2020 पर 60 वर्ष है?*

   (a) ₹5,00,000

   (b) ₹2,40,000

   (c) ₹3,00,000

   (d) ₹2,50,000

7. *A.Y. 2020-21 में धारा 87A की स्वीकार्य छूट :*

   (a) ₹12,500 यदि कुल आय 5 लाख से अधिक न हो।

   (b) ₹5,000 यदि कुल आय 5 लाख से अधिक न हो।

   (c) ₹2,500 यदि कुल आय 3.5 लाख से अधिक न हो।

   (d) ₹5,000 यदि कुल आय 3.5 लाख से अधिक न हो।

8. *A.Y. 2020-21 के लिए यदि Y की कुल आय ₹52 लाख हो तो सरचार्ज की दर होगी।*

   (a) 15%

   (b) 12%

   (c) 10%

   (d) 2%

9. *असमाप्त मूल छूट सीमा एक निवासी व्यक्ति की दशा में समायोजित हो सकेगी :*

   (a) केवल LTCG @ 12% की दर से धारा 112 में कर योग्य

   (b) धारा 111A अन्तर्गत STCG @ 15% कर योग्य

   (c) दोनों (a) व (b)

   (d) धारा 115BB में आकस्मिक आय @ 30% कर योग्य

10. *असमाप्त मूल छूट सीमा एक अनिवासी के लिए समायोजित हो सकेगी :*

    (a) केवल LTCG @ 20% कर योग्य 112 के अन्तर्गत

    (b) धारा 111A अन्तर्गत STCG कर योग्य @ 15%

    (c) (a) व (b)

    (d) (a) व (b) दोनों ही नहीं

उत्तर (Answere)

1. (a), **2.** (c), **3.** (b), **4.** (a), **5.** (a), **6.** (c), **7.** (a), **8.** (c), **9.** (c), **10.** (d)

© The Institute of Chartered Accountants of India